निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1940 (श0)
(सं0 पटना 738) पटना, मंगलवार, 31 जुलाई 2018

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
24 जुलाई 2018

सं० वि०स०वि०-14/2018- 4531/वि०स०—'' बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा ।

बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018

(वि०स०वि०-10/2018)

बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 13,2006) (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना । चूँकि, बिहार राज्य में मत्स्य विकास की अपार संभावनाएँ है;

और, चूँकि, राज्य सरकार द्वारा परम्परागत मछुआरों को प्रशिक्षित करते हुए और तकनीकी सहायता देते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं;

और, चूँकि, राज्य सरकार की यह नीति है कि जलकरों की बन्दोबस्ती, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ किया जाए, ताकि बेहतर प्रबंधन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हों;

और, चूँकि, प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सदस्यों के बीच विवाद की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रावधानों को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

भारत–गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । –

(1) यह अधिनियम बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा – 5 में संशोधन। – (1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा –5 की उपधारा (i) में प्रयुक्त शब्द **''सात''** को शब्द **''पाँच''** द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा :–

''मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ जितनी अवधि के लिए जलकरों की बंदोबस्ती की जायेगी, उतनी ही अवधि के लिए समिति, अपने सदस्यों को बंदोबस्ती करते हुए पट्टा निर्गत करेगी''।

(2) धारा– 5 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :–

''परन्तु नई बन्दोबस्ती की अवधि, प्रबंध समिति के कार्यकाल की अवधि तक सीमित रहेगी''।

3. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा –7 में संशोधन – (1)उक्त अधिनियम 2006 की धारा –7 (xii)(ख) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :–

''सदस्य, समिति एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के बीच समस्त राशि का लेन–देन बैंक खाता के माध्यम से ही होगा''।

(2) उक्त अधिनियम 2006 की धारा –7 (xii)(ड.) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :–

''जिला मत्स्य पदाधिकारी से परवाना प्राप्त होते ही समिति तत्क्षण अपने सदस्यों को स्थायी पट्टा निर्गत करेगी''।

4. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा –13 में संशोधन। उक्त अधिनियम 2006 की धारा –13 (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''मछलियों के आने–जाने के रास्ते पर बाड़ी या किसी प्रकार का घेरा, नदियों एवं जलाशयों में, प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 अगस्त तक की अवधि के लिए ही प्रतिबंधित होगा''।

5. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा –17 में संशोधन । – उक्त अधिनियम 2006 की धारा –17 की उपधारा (i) के खंड (ड.) के बाद निम्नलिखित नया खंड (च) जोड़ा जायेगाः–

''बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा –7 (ii) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा अपने सदस्यों के साथ की गई बन्दोबस्ती की अवधि में परिवर्तन करना''।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007 एवं 2010 के लागू होने के पश्चात् मत्स्यपालकों, जनप्रतिनिधियों, समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अन्य माध्यमों से कई प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हो रही थीं। बंदोबस्ती अवधि सात वर्षों के रहने के कारण तथा निर्वाचित समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों के रहने के कारण प्रायः नवनिर्वाचित समिति तथा उनके सदस्यों के मध्य विवाद होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। समिति के सदस्य, समिति एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के मध्य राशि का लेन–देन नगद होने के कारण भी विवाद होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। अधिनियम के प्रावधानों पर जनप्रतिनिधियों की राय जानने हेतु एक बैठक दिनांक 29.06.2018 को आहूत की गई। बैठक में बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम में कतिपय संशोधन की अनुशंसा की गई।

राज्य के मत्स्यपालकों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान के प्रति सतत् प्रयत्नशील रहना राज्य सरकार का दायित्व है। इसी दायित्व की पूर्ति की कड़ी में बिहार मत्स्य जलकर प्रबधन अधिनियम लागू किया गया है। राज्य के मत्स्यपालकों, प्रबुद्ध व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के सुझाव तथा अनुशंसा तथा अधिनियम के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर अधिनियम के विविध प्रावधानों को और स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि मत्स्यपालकों एवं समिति के मध्य विवाद नहीं हो एवं राज्य के मत्स्यपालकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इसलिए अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन अपेक्षित है। एतदर्थ बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007 एवं 2010 में संशोधन हेतु इस विधेयक मे कतिपय प्रावधान किए गए हैं जिनको अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एवं अभीष्ट है।

(पशुपति कुमार पारस)
भार–साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 24.07.2018

सचिव
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 738-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in